हिंदी विश्वविद्यालय में मानवाधिकार पर कार्यशाला उदघाटित

स्त्री अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संयुक्त आयोजन

मनुष्य की गरीमा को स्थापित करता है मानव अधिकार -प्रो. गिरीश्वर मिश्र

वर्धा दि. 03 अक्तूबर 2015 : मानव अधिकार मनुष्य की गरीमा स्थापित करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। मानव अधिकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधान समता और स्वतंत्रता की बहाली के साथ-साथ कवच प्रदान करते हैं। हमें मानव अधिकार को प्राप्त करने के लिए समाज में चेतना विकसित करनी होगी और इसके उपयोग के प्रति दायित्व और कर्तव्यबोध के लिए जागरूकता लानी होगी। उक्त विचार महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.गिरीश्वर मिश्र ने रखे। वे विश्वविद्यालय का स्त्री अध्ययन विभाग एवं मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार दि. 3 अक्तूबर को एक दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर मंच पर प्रतिकुलपति प्रो. चित्तरंजन मिश्र, टाटा समाज विज्ञान, मुंबई की प्रो. इलीना सेन, विवि के वरिष्ठ प्रो. मनोज कुमार, स्त्री अध्ययन विभाग की प्रभारी अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया पाठक, सहायक प्रोफेसर डॉ. अवंतिका शुक्ला उपस्थित थी।

कार्यशाला में मानवाधिकार, संवैधानिक प्रावधान एवं सार्वभौमिक उदघोषणा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार की उत्पत्ति एवं कार्य, महिलाओं

के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 1979 एवं इसके वैकल्पिक मूल पत्र तथा मानवाधिकार एवं बंधुआ मजदूरी तथा भारत में बाल मजदूरी आदि विषयों पर

वक्ताओं ने विमर्श किया। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य स्त्री अध्ययन विभाग की प्रभारी अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया पाठक ने दिया तथा कार्यक्रम का संचालन डॉ.अवंतिका शुक्ला ने किया। इस अवसर पर अध्यापक, शोधार्थी, प्रतिभागी तथा विद्यार्थी प्रमुखता से उपस्थित थे।